दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 277 / 2020 — दिनांक : 11.04..2020

शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या।

विषय:– *स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध मे।*

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्रांक लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 275 / 2020 दिनांक 06.04.2020 एवं लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 274 / 2020 दिनांक 31.03.2020 का सन्दर्भ करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए निर्देशित किया जा चुका है। आप अवगत हैं कि इस समय समस्त उत्तर प्रदेश राज्य सहित सम्पूर्ण देश कोरोना वॉयरस (कोविड–19) सम्बन्धी आपदा के कारण गम्भीर संकट के दौर से गुजर रहा है।

राज्य सरकार के साथ–साथ अन्य सामाजिक संगठन भी इस आपदा से निपटने में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार राज्य के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों सहित आम नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके भरण–पोषण के प्रति बेहद सजग व संवेदनशील है।

शासन के आदेश एवं विश्वविद्यालय के निर्देशो के बावजूद अद्यतन वेतन भुगतान की सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं है।

अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि तत्काल वेतन भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करते हुये, वेतन भुगतान की आख्या प्रमाण सहित विश्वविद्यालय के ई–मेल आई0डी0 (registrar@rmlau.ac.in) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने भुगतान सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करा दी है, उन्हें पुनः सूचना प्रेषित करने आवश्यकता नहीं है।

आदेशानुसार यह स्पष्ट करना है कि उपरोक्तानुसार शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के माह फरवरी 2020 एवं माह मार्च 2020 के वेतन / मानदेय के भुगतान सम्बन्धी आख्या यदि तत्काल प्राप्त नहीं करायी जाती है तो ऐसे महाविद्यालय / महाविद्यालयों के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की संगत धारा के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

प्रकरण आवश्यक / महत्वपूर्ण एवं माननीय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों से आच्छादित है।

भवदीय

उप–कुलसचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लॉग–इन आई0डी0 पर अपलोड करायें।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम स्मृति उपवन, आशियाना, बिजली पासी किला, आलमबाग, लखनऊ।
3. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. आशुलिपिक प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. अध्यक्ष / महामंत्री शिक्षक संघ, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
7. पत्रावली।

उप–कुलसचिव